[2018] 2 एस. सी. आर. 515

/

महाराष्ट्र राज्य बनाम.

दिनेश

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 1871-1873) फरवरी 07,2018

/

[एन**.** वी**.** रमना और एस**.** अब्दुल नजीर**,** न्यायाधीशगण **]**

दंड संहिता, 1860-हत्या और साक्ष्य का विनाश-अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियुक्त नं।1 हत्या की और आरोपी नं।2-प्रतिवादी ने मृतक के शव को टुकड़ों में काटकर और उन्हें निपटाकर सबूतों को नष्ट कर दिया-विचारण न्यायालय ने आरोपी नं.1 को धारा 302 और धारा 201 सपठित धारा 34 और अभियुक्त सं।2-उत्तरदाता धारा 201 सपठित धारा 34-उच्च न्यायालय ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया:राज्य अभियुक्त सं. 1 का सही पता देने में विफल रहा।आपराधिक अपीलों में को प्रभावित करने के लिए-परिणामस्वरूप, अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक अपील सं। गैर-अभियोजन के लिए खारिज-जहां तक अभियुक्त सं।2-प्रत्यर्थी का सम्बन्ध है, अभिलेख पर साक्ष्य के अवलोकन पर, अभियोजन पक्ष के 23 गवाहों में से, पीडब्लू-7 का साक्ष्य महत्वपूर्ण था क्योंकि उसे एकमात्र चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसने आरोपी नं.2- प्रतिवादी के साथ अभियुक्त सं।1, मृतक के शव को टुकड़ों में काटना-जब पूरा मामला एकमात्र गवाह के साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो न्यायालय पर एक सर्वोपरि कर्तव्य डाला जाता है कि वह ऐसे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक अभिलेख करे और यह पता लगाए कि क्या ऐसे साक्ष्य विश्वसनीय हैं या नहीं-पीडब्लू-7 के अनुसार, उसके पति ने भी अपराध देखा, लेकिन वे यह पहचान नहीं कर सके कि क्या आरोपी किसी मृत व्यक्ति के शरीर को टुकड़ों में काट रहे थे या जीवित व्यक्ति-क्रूर अपराध को देखने के बाद भी, न तो पीडब्लू-7 और न ही उसके पति ने आसपास के क्षेत्र में शोर मचाया था, जिसे घनी आबादी कहा जाता था, लेकिन वे शांति से सोने चले गए-अप्राकृतिक तरीके से जिसमें पीडब्लू-7 इस तरह के क्रूर अपराध को देखने के बाद डेढ़ महीने तक चुप रहा-इसके अलावा, पीडब्लू का पति।

/

/

/

/

/

/

515 ए.

516 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 2 एस. सी. आर.

अभियुक्त पूरी तरह से पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा करता है-इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय ने पुष्टि की।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** महाराष्ट्र राज्य **-** अपीलार्थी ने **2013** की आपराधिक अपील **Nos.1872** और **1873** में एकमात्र प्रतिवादी**-**अभियुक्त संख्या **1** का नवीनतम और सही पता प्रस्तुत करने के न्यायाधीश**-**इन**-**चैंबर निर्देशों का पालन नहीं किया है।परिणामतः**, 2013** की आपराधिक अपील संख्या **1872** और **1873** गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दी गई।**[**पैरा **5] [519-**ए**-**बी**] 2** शेष मामले में**,** अर्थात् प्रतिवादी के विरुद्ध **2013** की आपराधिक अपील सं**. 1871** अर्थात् अभियुक्त सं**. 2,** अभियोजन पक्ष के **23** गवाहों में से**,** पीडब्लू **7** का साक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे एकमात्र चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसने अभियुक्त सं**. 2** को अभियुक्त सं**. 1** के साथ मृतक की लाश को टुकड़ों में काटते हुए देखा था।स्पष्ट रूप से**,** कोई अन्य गवाह नहीं था जिसने घटना के स्थान और समय से पहले मृतक के साथ आरोपी को आखिरी बार देखा था।जब पूरा मामला एकमात्र गवाह के साक्ष्य पर निर्भर करता है**,** तो न्यायालय पर एक सर्वोपरि कर्तव्य डाला जाता है कि वह ऐसे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और यह पता लगाए कि क्या ऐसा साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं।**[**पैरा **7] [519-**सी**-**डी**]**

/

/

/

2.2 वर्तमान मामले में पीडब्लू **7** के साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।मान लीजिए**,** पीडब्लू**7** ने रात में लगभग **10.30** बजे अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को देखा था और अपराध के कथित स्थल पर बिजली नहीं थी।पीडब्लू **7** के अनुसार**,** उसके पति ने भी अपराध देखा**,** लेकिन वे यह पहचान नहीं कर सके कि आरोपी किसी मृत व्यक्ति के शरीर को टुकड़े**-**टुकड़े कर रहे थे या किसी जीवित व्यक्ति के।क्रूर अपराध को देखने के बाद भी**,** न तो पीडब्लू **7** और न ही उसके पति ने आसपास के क्षेत्र में शोर मचाया था**,** जिसे घनी आबादी कहा जाता था**,** लेकिन वे शांति से सोने चले गए और उसके बाद सामान्य जीवन व्यतीत किया।इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि पीडब्लू**7** ने प्रतिवादी अभियुक्त संख्या **2**

की पहचान नहीं की और उसका बयान घटना की तारीख से डेढ़ महीने के अंतराल के बाद दर्ज किया गया था।**[**पैरा **9] [520-**बी**-**सी**]**

/

/

/

2.3 पीडब्लू **7** के साक्ष्य**,** पूरे मामले की परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्यों पर विचार करते हुए**,** यह पाया जाता है कि पीडब्लू **7** का पति**,** जो ए

/

517

महाराष्ट्र राज्य बनाम दिनेश ए

घटना के चश्मदीद होने के लिए भी कहा गया था**,** न तो जांच के समय पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी**,** न ही न्यायालय के समक्ष और न ही उसकी गैर**-**जांच के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर पाया गया है।इसके अलावा**,** परीक्षण पहचान परेड भी आयोजित नहीं की गई और अपराध में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार पर पाए गए रक्त के धब्बों के साथ मृतक के रक्त समूह को साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।**[**पैरा **10] [520-**डी**-**ई**]**

/

2.4 इस प्रकार**,** पूर्ववर्ती परिस्थितियों में**,** विशेष रूप से उस अप्राकृतिक तरीके पर ध्यान देते हुए जिसमें पीडब्लू **7** घटना के डेढ़ महीने बाद तक चुप रहा**,** वह भी घनी आबादी वाले क्षेत्र के बीच में**,** किसी आरोपी को केवल उसके साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों को सही ढंग से वर्गीकृत और विचार किया है और तथ्यों और परिस्थितियों का ठीक से विश्लेषण करने के बाद अभियोजन पक्ष की कहानी पर अविश्वास करते हुए एक तर्कपूर्ण निर्णय दिया है।इसलिए**,** उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण ने पुष्टि की।**[**पैरा **11] [520-**एफ**-**जी**]** जोसेफ बनाम केरल राज्य **(2003) 1** एस**.** सी**.** सी**. 465:[2002] 4**

/

/

पूरक।एससीआर **439;** हरियाणा राज्य बनाम इंदर सिंह **(2002) 9** एससीसी **537;** रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

(2012) 4 एससीसी 257:[2012] 3 एससीआर 630; सीमन @

वीरनम बनाम राज्य**,** पुलिस निरीक्षक **(2005) 11** एस**.** सी**.** सी**.**

142 – पर भरोसा किया।

/

संदर्भित निर्णय

[2002] 4 पूरक।एससीआर **439**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

(2002) 9 एस**.** सी**.** सी**. 537**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2012] 3 एससीआर **630**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

/

(2005) 11 एस**.** सी**.** सी**. 142**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2013 की आपराधिक अपील संख्या 1871-1873

2004 की आपराधिक अपील संख्या 343 के साथ 2004 की आपराधिक अपील संख्या 403 के साथ 2004 की आपराधिक अपील संख्या 130 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

/

सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी (निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर के लिए), अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

सुबोध के. पाठक, सुश्री प्रणिता शेखर, पवन कुमार शर्मा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

/

518

/

[2018] 2 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1.विशेष अनुमति द्वारा ये अपील 2004 की आपराधिक अपील संख्या 130,343 और 403 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय , नागपुर की पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 1 के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

/

2. अभियोजन पक्ष ने इन अपीलों में दो अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।अभियुक्त नं. 1-अजय पर राकेश दत्ताजी चव्हाण की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जबकि अभियुक्त नं. 2 (यहाँ प्रतिवादी) पर मृतक राकेश दत्ताजी चव्हाण के शव को टुकड़ों में काटकर सबूतों को कथित रूप से नष्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।ट्रायल न्यायालय ने दोषी ठहराया और आरोपी नंबर 2-प्रतिवादी को तीन साल के लिए कठोर कारावास और Rs.500 का जुर्माना देने की सजा सुनाई-चूक में, छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने के लिए।

/

3. दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होने के बाद, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की, जिसकी अनुज्ञात गई।वास्तव में, उच्च न्यायालय के समक्ष दो और आपराधिक अपीलें भी दायर की गईं, एक सह-अभियुक्त (अभियुक्त संख्या 1) द्वारा उसकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ और दूसरी राज्य द्वारा अभियुक्त के खिलाफ सजा बढ़ाने की मांग करते हुए।इसमें आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को खारिज करते हुए, अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को अनुज्ञात कर लिया और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया।4. आक्षेपित निर्णय से असंतुष्ट, तीन आपराधिक अपीलें अर्थात् 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1871, प्रतिवादी के खिलाफ जिसमें आरोपी संख्या 2 है, 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1872 (आरोपी संख्या 1 के खिलाफ) और 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1873 (आरोपी संख्या 1 के खिलाफ) महाराष्ट्र राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं।आपराधिक अपील संख्या 1872 और 2013 की 1873 में सेवा प्रभावी करने के लिए अभियुक्त संख्या 1 का सही पता प्रस्तुत करने के कई अवसरों के बावजूद राज्य की विफलता को देखते हुए, इस न्यायालय के न्यायाधीश-इन-चैंबर ने अंततः

निम्नलिखित शर्तों में 15 दिसंबर, 2016 को एक आदेश पारित किया:"अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील को चार सप्ताह का और समय दिया जाता है, अंत में, आपराधिक अपील संख्या 1872 और 2013 की 1873 में गैर-सेवा प्राप्त सामान्य प्रतिवादी का नवीनतम और सही पता प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें विफल रहने पर, आपराधिक अपील संख्या 1872 और 2013 की 1873 न्यायालय को आगे निर्देश दिए बिना खारिज हो जाएगी। "

/

/

/

/

/

519

महाराष्ट्र राज्य बनाम दीनेश [एन. वी. रमना, जे.] ए.

/

5. उपरोक्त आदेश के बावजूद, अपीलार्थी-महाराष्ट्र राज्य ने न्यायाधीश-इन-चैंबर के निर्देशों का पालन नहीं किया है।परिणामतः, 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1872 और 1873 गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दी गई।इसलिए, अब हम 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1871 से केवल प्रतिवादी यानी अभियुक्त संख्या 2 के खिलाफ चिंतित हैं।

/

6. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य के साथ-साथ प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है, और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

7. निस्संदेह, अभियोजन पक्ष के 23 गवाहों में से, पीडब्लू 7-पुष्पबाई का साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें एकमात्र चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने आरोपी नंबर 2 को आरोपी नंबर 1 के साथ मृतक की लाश को टुकड़ों में काटते हुए देखा था। स्पष्ट रूप से, कोई अन्य गवाह नहीं था जिसने घटना के स्थान और समय से पहले मृतक के साथ आरोपी को आखिरी बार देखा था।जब पूरा मामला एकमात्र गवाह के साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो न्यायालय पर एक सर्वोपरि कर्तव्य डाला जाता है कि वह ऐसे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और यह पता लगाए कि क्या ऐसा साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं।पीडब्लू 7 के साक्ष्य का आकलन करने से पहले, हम इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विचारों पर ध्यान देना उचित समझते हैं।

/

/

8. जोसेफ बनाम केरल राज्य, (2003) 1 एस. सी. सी. 465 में इस न्यायालय ने कहा है कि जहां एकमात्र गवाह है, वहां उसके साक्ष्य को सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री के टचस्टोन पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।हरियाणा राज्य बनाम इंदर सिंह, (2002) 9 एस. सी. सी. 537 में इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि एकमात्र गवाह की गवाही आत्मविश्वास बढ़ाने वाली और संदेह से परे होनी चाहिए, इस प्रकार, न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ती है।रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2012) 4 एस. सी. सी. 257 में इस न्यायालय ने उपरोक्त दो निर्णयों पर ध्यान देने के बाद कहा कि "इन निर्णयों में बताए गए सिद्धांत निर्विवाद हैं।इनमें से कोई भी निर्णय यह नहीं कहता है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है या किसी आरोपी की दोषसिद्धि अपराध के एकमात्र चश्मदीद गवाह के बयान पर आधारित नहीं हो सकती है।केवल यह आवश्यक है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह का बयान विश्वसनीय होना चाहिए, न्यायालय के दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहिए और अपराध करने और इस तरह के अपराध में आरोपी की संलिप्तता के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सबूतों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह साक्ष्य की गुणवत्ता है न कि साक्ष्य की मात्रा जिसे न्यायालय द्वारा आंका जाना आवश्यक है।

/

/

/

/

बयान पर विश्वास रखने के लिए न्यायालय [सीमन @वीरनम बनाम.

राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा, (2005) 11 एस. सी. सी.

9. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान मामले में पीडब्लू 7-पुष्पबाई के साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता है।मान लीजिए, पीडब्लू7 ने रात में लगभग 10.30 बजे अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को देखा था और अपराध के कथित स्थल पर बिजली नहीं थी।पीडब्लू 7 के अनुसार, उसके पति ने भी अपराध देखा, लेकिन वे यह पहचान नहीं कर सके कि आरोपी किसी मृत व्यक्ति के शरीर को टुकड़े-टुकड़े कर रहे थे या किसी जीवित व्यक्ति के।क्रूर अपराध को देखने के

बाद भी, न तो पीडब्लू 7 और न ही उसके पति ने आसपास के क्षेत्र में शोर मचाया था, जिसे घनी आबादी कहा जाता था, लेकिन वे शांति से सोने चले गए और उसके बाद सामान्य जीवन व्यतीत किया।इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि पीडब्लू 7 ने प्रतिवादी की पहचान नहीं की-आरोपी संख्या 2 और उसका बयान घटना की तारीख से डेढ़ महीने के अंतराल के बाद दर्ज किया गया था।10. पीडब्लू 7 के साक्ष्य पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमने पूरे मामले की परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्यों पर भी विचार किया है।हम अभिलेख से पाते हैं कि पी. डब्ल्यू. 7 के पति, जिन्हें घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी कहा गया था, से न तो पुलिस ने जाँच के समय पूछताछ की थी, न ही न्यायालय के समक्ष और न ही उनकी जाँच न होने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण रिकॉर्ड में पाया गया है।इसके अलावा, परीक्षण पहचान परेड भी आयोजित नहीं की गई और अपराध में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार पर पाए गए रक्त के धब्बों के साथ मृतक के रक्त समूह को साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

/

/

/

/

11. इस प्रकार, पूर्ववर्ती परिस्थितियों में, विशेष रूप से उस अप्राकृतिक तरीके पर ध्यान देते हुए जिसमें पीडब्लू 7 घटना के डेढ़ महीने बाद तक चुप रहा, वह भी घनी आबादी वाले क्षेत्र के बीच में, किसी आरोपी को केवल उसके साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।इस प्रकार, हमें इस अपील में कोई ठोस आधार या कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू 7 की गवाही पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हमारे हस्तक्षेप का आह्वान करता है।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों को सही ढंग से वर्गीकृत और विचार किया है और तथ्यों और परिस्थितियों का ठीक से विश्लेषण करने के बाद अभियोजन पक्ष की कहानी पर अविश्वास करते हुए एक तर्कपूर्ण निर्णय दिया है।इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और राज्य की अपील को खारिज करते हैं।

/

/

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

/

अंकित ज्ञान की अपील खारिज कर दी गई।